11/2/22 पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उप। प्रति क्र
1 व 3 की ओर से जगदम्बिका गौतम ने
अमानतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश
किया है एवं निवेदन किया है कि दावा
वादीगण स्वीकार कर डिक्री प्रदान की जावे।
प्रति क्र 4 माल पर फार्मल पार्टी है।
वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में आज
पंचायतनामा [illegible] का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया
जाता है, उक्त जवाब प्रतिवादीगण एवं दस्तावेज
के आधार पर दावा वादी की स्वीकार करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

की प्रार्थना की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब एवं ग्राम पंचायत तनाचेड़ का प्रमाणपत्र, के आधार पर वाद वादिनी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वाद वादिनी स्वीकार किया जाता है, डिक्री तद्नुसार निर्णय पूर्वक तैयार किया जाकर शा. पत्रावली फैसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 65/2021 तारीख दायरा 30.06.2021

उनवान

कमलेशबाई उर्फ अमरीकला पुत्री श्री जानक्या उर्फ जानकीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नांगलहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादीनी

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र श्री जानक्या उर्फ जानकीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नांगलहेडी।
2. रामलाल पुत्र श्री जानक्या उर्फ जानकीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नांगलहेडी।
3. गायत्रीबाई पुत्री श्री जानक्या उर्फ जानकीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नांगलहेडी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :–

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादीनी) दिनांक :– 11.02.2022

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी सं.1 ता 3)

–– निर्णय ––

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 रिश्ते में सगे भाई–बहिन हैं। वादीनी के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 213 रकबा 1.55 हैक्टर आराजी वाके ग्राम नांगलहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें वादीनी की माता सहखातेदार श्रीमती कालीबाई का स्वर्गवास हो जाने से वादग्रस्त आराजी में वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित है। वादीनी का वास्तविक नाम "कमलेशबाई" है किन्तु वादीनी का घरेलू नाम "अमरीकला" भी है। इस प्रकार से वादीनी को "कमलेशबाई" व "अमरीकला" दोनों ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

नामों से जाना जाता है। आधारकार्ड एवं सरकारी दस्तावेजों में वादीनी का नाम ''कमलेशबाई'' अंकित है जबकि जमाबन्दी में वादीनी का नाम ''अमरीकला'' अंकित है। इसी प्रकार से वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के पिता का वास्तविक नाम ''जानकीलाल'' है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीनी के पिता का नाम ''जानक्या'' अंकित हो रहा है। राजस्व रिकार्ड में अंकित वादीनी के नाम एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में अंकित वादीनी के नाम में भिन्नता होने के कारण वादीनी को राज्य सरकार से मुआवजा राशि प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादीनी ने गत सप्ताह पटवारी हलका से उक्त नाम को दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती कार्यवाही करने की राय व्यक्त की। राजस्व रिकार्ड की उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि राजस्व रिकार्ड में उक्त दुरूस्ती नहीं की गई तो वादीनी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी भविष्य में कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जरिये तहसीलदार सांगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। वादकारण गत सप्ताह पटवारी हलका द्वारा न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती की कार्यवाही करने की राय व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः माल ग्राम नांगलहेडी तहसील सांगोद के खसरा नंबर 213 रकबा 1.55 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम 'अमरीकला' के बजाय 'कमलेशबाई' अंकित किया जावे तथा वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के पिता का नाम ''जानक्या'' के स्थान पर ''जानकीलाल'' अंकित किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी का वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे।

उक्त आशय का वाद पेश होने पर वाद को दर्ज कर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी को सूचना हो चुकी है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से वकील श्री जयवर्द्धन गौतम द्वारा इकबाली जवाब पेश कर वादी के वाद को स्वीकाार करने पर सहमति व्यक्त की है। वादीनी द्वारा ग्राम पंचायत ताथेड के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसार 'अमरीकला' एवं 'कमलेशबाई' दोनों वादीनी के नाम हैं। जवाब सरकार अप्राप्त होने के कारण जवाब सरकार बंद किया जाता है। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए संलग्न दस्तावेज के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली के अवलोकन से मैंने यह पाया कि पत्रावली में जो दस्तावेज, जमाबंदी, इकबाली जवाबदावा, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, आधार का[illegible]ा पहचान पत्र एवं ग्राम पंचायत ताथेड के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जारी [illegible] उपलब्ध है उससे यह प्रतीत होता है वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो कि स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल ग्राम नांगलहेडी तहसील सांगोद के खसरा नंबर 213 रकबा 1.55 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम "अमरीकला" के स्थान पर "कमलेशबाई" अंकित किया जावे तथा वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के पिता का नाम "जानक्या" के स्थान पर "जानकीलाल" अंकित किया जावे। उक्त वादग्रस्त आराजी का वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राज लगान पृथक से अंकित किया जाकर इन्द्राज दुरस्त कर खाते में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

(अजय सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 65/2021

तारीख दायरा 30.06.2021

उनवान

कमलेशबाई उर्फ अमरीकला पुत्री श्री जानक्या उर्फ जानकीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नांगलहेडी तहसील सांगोद जिला कोटा। – वादीनी

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र श्री जानक्या उर्फ जानकीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नांगलहेडी।
2. रामलाल पुत्र श्री जानक्या उर्फ जानकीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नांगलहेडी।
3. गायत्रीबाई पुत्री श्री जानक्या उर्फ जानकीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नांगलहेडी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील वादीनी) दिनांक :– 11.02.2022

श्री जयवर्द्धन गौतम (वकील प्रतिवादी सं.1 ता 3)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री दिनेश कुमार गौतम मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested

माल ग्राम नांगलहेडी तहसील सांगोद के खसरा [illegible] रकबा 1.55 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम "अमरीकला" के स्थान पर "कमलेशबाई" अंकित किया जावे तथा वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के पिता का नाम "जानक्या" के स्थान पर "जानकीलाल" अंकित किया जावे। उक्त वादग्रस्त आराजी का वादीनी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

प्रत्येक को 1/4-1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राज लगान पृथक से अंकित किया जाकर इन्द्राज दुरस्त कर खाते में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.15 12:32:39 IST
Reason: SelfAttested